

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 फरवरी 2010—माघ 12, शक 1931

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2010

क्र. एफ-4-डी-1-2010-ए-सोलह.—श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में पूर्व में प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-4(डी)1-4-सोलह-ए, दिनांक 5 फरवरी, 2004 को निरस्त करते हुये, भारत शासन, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना एस. आर. ओ. 372, दिनांक 26 फरवरी, 1952 तथा व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 (क्रमांक 16 सन् 1926) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री प्रभात दुबे, उप श्रमायुक्त, भोपाल को इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन के दिनांक से ऐसे व्यावसायिक संघों के लिये, जिनका उद्देश्य एक राज्य में सीमित नहीं है और जिनके मुख्यालय या पंजीकृत कार्यालय, मध्यप्रदेश में स्थित है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन नियुक्त करता है.

क्र. एफ-4-डी-1-2010-ए-सोलह.—श्रम विभागीय पूर्व प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-4(डी)1-4-सोलह-ए, दिनांक 23 जनवरी, 2004 को निरस्त करते हुये, राज्य शासन, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री प्रभात दुबे, उप श्रमायुक्त, भोपाल को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन के दिनांक से पंजीयक, प्रतिनिधि संघ नियुक्त करता है.

क्र. एफ-4-डी-1-2010-ए-सोलह.—श्रम विभागीय पूर्व प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-4(डी)1-4-सोलह-ए, दिनांक 23 जनवरी, 2004 को निरस्त करते हुये, राज्य शासन, ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 (क्रमांक 16 सन् 1926) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री प्रभात दुबे, उप श्रमायुक्त, भोपाल को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन के दिनांक से ऐसे कार्मिक संघों का, जिसका उद्देश्य इस राज्य में सीमित हो, मध्यप्रदेश राज्य का पंजीयक, व्यावसायिक संघ नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. पी. सिंह, उपसचिव.